# मध्यप्रदेश विधान सभा

## मार्च-मई, 1991 सत्र

## दैनिक कार्य सूची

### बुधवार, दिनांक 13 मार्च, 1991 (फाल्गुन 22, 1912)
### समय 10.30 बजे दिन

**1. प्रश्नोत्तर**

पृथक्तः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिए जायेंगे.

**2. पत्रों का पटल पर रखा जाना**

श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि प्राविडेन्ट इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड का दिनांक 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

**3. नियम 138(1) के अधीन ध्यानाकर्षण.**

(1) श्री विश्वम्भर नाथ पाण्डेय, सदस्य, रीवा जिले में खेसरी दाल के सेवन से जन जीवन को हो रही क्षति की ओर राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री जगदम्बा प्रसाद निगम, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम पुछिहार में बिजली चोरी की घटना पर कार्यवाही न होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

**4. याचिकाओं की प्रस्तुति**

(1) श्री लक्ष्मण जयदेव सतपथी, सदस्य :-

(क) जिला रायपुर विकासखण्ड बसना के ग्राम बिजराभांठा से पैला, सरकण्डा होते हुए अजगरखार तक सड़क निर्माण कराये जाने के संबंध में 42 व्यक्तियों की,

(ख) जिला रायपुर विकासखण्ड बसना के ग्राम गौरटेक में पूर्व माध्यमिक शाला खोले जाने के संबंध में 70 व्यक्तियों की,

(ग) जिला रायपुर विकासखण्ड बसना के ग्राम अजगरखार के हाईस्कूल को शासनाधीन किये जाने या अनुदान दिलाये जाने के संबंध में 59 व्यक्तियों की,

(घ) जिला रायपुर विकासखण्ड बसना के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में तीस बिस्तर वाले अस्पताल की सुविधा उपलब्ध करानें के संबंध में 38 व्यक्तियों की,

(ङ) जिला रायपुर विकासखण्ड बसना में स्थापित दुग्ध शीतलीकरण संयत्र में बाटलिंग एवं वितरण प्रक्रिया प्रारंभ कराये जाने के संबंध में 39 व्यक्तियों की,

(च) जिला रायपुर तहसील सराईपाली के ग्राम तोषगांव में सिविल डिस्पेंसरी या मिनी हास्पिटल खोले जाने के संबंध में 40 व्यक्तियों की, तथा

(छ) जिला रायपुर विकासखण्ड बसना के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भवन स्टाफ एवं फर्नीचर की समुचित व्यवस्था किये जाने के संबंध में 39 व्यक्तियों की

याचिकायें प्रस्तुत करेंगे।

(2) श्री सूबेदार सिंह सदस्य :-

(क) जिला मुरैना तहसील जौरा के ग्राम सिकरौदा से खरका व्हाया जलालपुर, बघेल, मोहना, जैलपुर, भटियारा, रसोधना, पासरोड़ी तक सड़क निर्माण कराये जाने के संबंध में 55 व्यक्तियों की, तथा

(ख) जिला मुरैना तहसील जावरा के ग्राम परसोटा के तालाब से जुड़े पेसरा नाले पर पुल या पुलिया के निर्माण कराये जाने के संबंध में 15 व्यक्तियों की याचिकायें प्रस्तुत करेंगे।

(3) श्रीमती रामरानी जौहर, सदस्य :-

जिला जबलपुर विधान सभा क्षेत्र मुड़वारा के माधवनगर में पुलिस चौकी की स्थापना कराये जाने के संबंध में 12 व्यक्तियों की याचिका प्रस्तुत करेंगी।

(4) डा. ढालसिंह बिसेन, सदस्य :-

जिला सिवनी तहसील बरघाट के ग्राम छपारा प.ह.नं. 62/118 को विभाजित कर गंगेस्वा नामक स्थान को गंगरूवा ग्राम घोषित किये जाने के संबंध में 66 व्यक्तियों की याचिका प्रस्तुत करेंगे ।

(5) श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य :-

भोपाल शहर के हर्षवर्धन शापिंग काम्पलेक्स/संजय काम्पलेक्स चौराहे को विकसित करनें एवं निर्माण कार्य शीघ्र किये जाने के संबंध में 171 व्यक्तियों की याचिका प्रस्तुत करेंगे ।

## 5. अध्यादेश के अननुमोदन का संकल्प

श्री जगदम्बा प्रसाद निगम, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प -
" यह सदन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा बनाये गये मध्यप्रदेश गंगाजली निधि न्यास (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (क्रमांक 2 सन् 1991) का अननुमोदन करता है."

| निर्धारित समय | |
|---|---|
| | **6. शासकीय विधि विषयक कार्य** |
| 1 घन्टा शेष 50 मिनिट | (1) श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त, राजस्व मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश गंगाजली निधि न्यास (संशोधन) विधेयक, 1991 (क्रमांक 5, सन् 1991) पर विचार किया जाय-चर्चा का पुनर्ग्रहण.<br>उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय. |
| 30मिनिट | (2) श्री बाबूलाल जैन, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर ( संशोधन और विधि मान्यकरण ) संशोधन विधेयक, 1991 (क्रमांक 6, सन् 1991) पर विचार किया जाय,<br>उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय. |
| | **7. नियम-138 के अधीन सामान्य लोकहित के विषय पर चर्चा** |
| 1 घन्टा | गर्भ जल परीक्षण द्वारा लिंग निर्धारण को अवैध घोषित करके बालिका भ्रूण हत्या पर पाबंदी लगाने संबंधी प्रस्ताव पर श्रीमती नेहा सिंह एवं जगदम्बा प्रसाद निगम, सदस्य चर्चा उठायेंगे. |
| | **8. नियम-139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा** |
| 1 घन्टा | श्री तेज सिंह सेंधव, सदस्य वनों की सुरक्षा एवं पर्यावरण के सुधार संबंधी चर्चा उठायेंगे. |

विधुवेन्द्र मेहता
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपालः
दिनांक 12 मार्च, 1991.